संख्या : 4555/8-3-11-19विविध/11(हाई)

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर,2011

विषयः उ.प्र. में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति 2003 में इक्जिट क्लाज एवं अंशधार्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

राज्य में जन सामान्य को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति-2003 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत 10 विकासकर्ताओं का चयन किया गया है। इसी प्रकार संशोधित हाईटेक टाउनशिप नीति-2007 शासनादेश दिनांक 17.09.2007 द्वारा निर्गत की गयी है, जिसके अन्तर्गत 03 विकासकर्ताओं का चयन किया गया है।

2- हाईटेक टाउनशिप नीति-2007 के अन्तर्गत सामुहिक अंश पूंजी के सम्बन्ध में कम्पनी ने कन्सॉर्शियम के समस्त सदस्यों की सामूहिक अंशपूंजी न्यूनतम 51 प्रतिशत तथा कन्सॉर्शियम में शामिल समस्त सदस्यों की सहभागिता परियोजना समापन तक अनिवार्य होने की व्यवस्था निर्धारित है। हाईटेक टाउनशिप नीति-2003 के अन्तर्गत कन्सॉर्शियम के सदस्यों की न्यूनतम सामुहिक अंश पूंजी एवं कन्सॉर्शियम के समस्त सदस्यों की सहभागिता की परियोजना के समापन तक होने की बाध्यता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

3- इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो कन्सॉर्शियम ऑफ कम्पनीज शासनादेश संख्या-3872/8-1-07-34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 2007 से पहले से पंजीकृत है तथा जिनका चयन हाईटेक टाउनशिप नीति-2003 के अन्तर्गत विकास के लिए पूर्व में किया जा चुका था उन्हें 'इक्जिट क्लाज' एवं 'अंशधार्यता हस्तान्तरण' के लिए शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यदि ऐसे कन्सॉर्शियम ऑफ कम्पनीज किसी 'इक्जिट-क्लाज' या 'अंशधार्यता हस्तान्तरण' का प्रयोग करना चाहती है तो इसके लिए उसे शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4- हाईटेक टाउनशिप नीति 2003 के अन्तर्गत उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित बिड डाक्यूमेन्ट में किसी एक विकासकर्त्ता को एक शहर में अधिकतम

02 हाईटेक टाउनशिप एवं सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम 03 हाईटेक टाउनशिप ही विकसित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है तथा यह भी शर्त है कि एक कम्पनी एक ही कन्सॉर्शियम की सदस्य होगी। इस प्रकार एक कम्पनी/कन्सॉर्शियम एक नगर में अधिकतम 02 हाईटेक टाउनशिप्स एवं सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम 03 हाईटेक टाउनशिप्स का विकास कर सकेगी।

अतः इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तर–3 की व्यवस्था उक्त प्रस्तर–4 की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव

संख्याः 4555(1)/8–3–11– 19विविध/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु।
5. समस्त अनुभाग–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव